# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू–अभिलेख अधिकारी बालोतरा

पीठासीन अधिकारीः– अशोक कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 71/2025

जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2025/108

प्रार्थीगण बनाम विप्रार्थीगण

**प्रार्थीगण**

1.भटाराम पुत्र राणाराम
2.गेनाराम पुत्र राणाराम
3.शांति पुत्री राणाराम
4.केशी पत्नि राणाराम
जाति मेगवाल
निवासी रूपादेवी,दूघवा
तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा

**विप्रार्थीगण**

1.भटाराम पुत्र राणाराम
2.मुकनाराम पांचाराम
3.पुजाराम पुत्र खेताराम
4.अणसी पत्नि खुमाराम
5. गीगी पत्नि ताराराम
6.गोबरराम पुत्र चौथाराम
7.धुड़ाराम पुत्र भुराराम
8. हरजीराम पुत्र भुराराम
9. जतु पत्नि भुराराम
10.मगाराम पुत्र मोटाराम
11.रूखमों पत्नि अचलाराम
12. वरजु पत्नि नैनाराम
जाति मेगवाल निवासी रूपादेवी, दूधवा
तहसील पचपदरा जिला बालोतरा
13.जेठाराम पुत्र मूलाराम जाति जाट
14.मेहराराम पुत्र मूलाराम जाति जाट
15.भीखाराम पुत्र पदमाराम प्रजापत
16.कुम्भाराम पुत्र राणाराम
17.चूनाराम पुत्र राणाराम
18.रामलाल पुत्र राणाराम
19.हंसराज पुत्र राणाराम
20.सारो पत्नि राणाराम
21.कालूराम पुत्र वखताराम
22.भेराराम पुत्र कालूराम
23.मांगाराम पुत्र उदाराम
24.मनाराम पुत्र उदाराम

उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा (मुहर)

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

जाति सुथार निवासी रूपादेवी,दुधवा तहसील पचपदरा जिला बालोतरा

25.घनाराम पुत्र खेताराम

26.रूपाराम पुत्र खेमाराम

27.रूखमो पत्नि खेमाराम जाति जाट निवासी रूपादेवी,दुधवा तहसील पचपदरा जिला बालोतरा

28.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार पचपदरा व जिला बालोतरा

**राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956**

उपस्थिति–

1.श्री प्रेमराज पंवार अधिवक्ता प्रार्थीगण

2.विप्रार्थीगण एकपक्षीय

## आदेश

दिनांक 27/10/2025

1.संक्षिप्त में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम रूपादेवी पटवार हल्का दुधवा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 460/328 क्षेत्रफल 16.0255 हैक्टेयर, भूमि अवस्थित है। जिस पर प्रार्थीगण का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रार्थी की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीगण की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा रहता है। अतः प्रार्थीगण द्वारा ग्राम रूपादेवी पटवार हल्का दुधवा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 460/328 क्षेत्रफल 16.0255 हैक्टेयर, भूमि की नेखमवंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया है।

2.प्रार्थीगण का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिए रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थीगण को सुनवाई के पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने के कारण विप्रार्थी के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

3.हमनें प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस सुनी। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम रूपादेवी पटवार हल्का दुधवा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 460/328 क्षेत्रफल 16.0255 हैक्टेयर, भूमि अवस्थित है। जिस पर प्रार्थीगण का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है,प्रार्थीगण की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थी की भूमि आई हुई है,वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीगण की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि की पुरानी माढो को हटवाने का प्रयास करते रहते है तथा प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में आये दिन अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जाता है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान में तनाजा रहता है। विप्रार्थी झगड़ालू प्रवृति का होने के कारण आये दिन प्रार्थीगण को उसकी खातेदारी भूमि की सीमाओं को लेकर विवाद करता रहते है। प्रार्थीगण द्वारा विप्रार्थी को मना करने के उपरांत भी विप्रार्थी प्रार्थी की खातेदारी भूमि में दखलदान्जी करने में बाज नहीं आ रहे है। अंत में निवेदन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम रूपादेवी पटवार हल्का दुधवा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 460/328 क्षेत्रफल 16.0255 हैक्टेयर भूमि की नेखमवन्दी के आदेश फरमावे जावे।

4.हमने उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यों पर विवेचन किया। जिसमें पाया कि ग्राम रूपादेवी पटवार हल्का दुधवा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 460/328 क्षेत्रफल 16.0255 हैक्टेयर, भूमिगण प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है,जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी संवत 2079-2082 का अवलोकन करने से स्पष्ट है। इस प्रकार प्रार्थीगण विवादित भूमि के रिकार्डड खातेदार है,और रिकार्डड खातेदार होने के कारण विवादित भूमि की सीमाओ को लेकर सेढा पड़ौसीयो मे सीमा विवाद होना बताकर विवादित भूमि की नेखमवंदी करवाने हेतु आवेदन पत्र पेश किया गया है। हस्तगत प्रकरण के निस्तारण के लिए हम यहां धारा 128 आर.एल.आर. का उल्लेख करना उचित समझते है,जिसके अनुसार :-धारा 128 सीमा विवाद-सम्बन्धी समस्त विवाद भू-अभिलेख अधिकारी द्वारा धारा 111 में निर्धारित रीति से तय किए जायेगें:

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

1.(परन्तु खेतो के सीमाओं सम्बन्धी आवेदन–पत्र,जहां यधपि ऐसी सीमा के विषय मे कोई विवाद विधमान नहीं हो किन्तु सही सीमा चिन्हों के अभाव में ऐसी विवाद उठानें की सम्भावना हो तो तहसीलदार को ही पेश किए जायेगें तथा उसी के द्वारा निपटाये जायेगें)

उक्त प्रावधान से स्पष्ट है,कि सीमाओ मे विवाद की स्थिति होने पर विवादो का निपटारा न्यायालय हाजा के स्तर से किया जाना है। प्रार्थीगण की ओर से ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य यथा–सीमाज्ञान फर्द रिपोर्ट प्रति पेश नही की गई,जिससे साबित होता हो कि विवादित भूमि की सीमाओ को लेकर विवाद हो,ऐसी सूरत मे प्रार्थीगण का आवेदन चलने योग्य नही है। ऐसी स्थिति में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 128(1) के अनुसरण में निर्विवाद मामलो को तहसीलदार द्वारा निपटाया जाना है,अतः हस्तगत प्रकरण में हम प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी भूमि के सीमाज्ञान बाबत् तहसीलदार के समक्ष प्रार्थना–पत्र/आवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करना उचित समझते है,लेकिन हस्तगत प्रकरण मे राहत प्राप्त नही कर सकते है।

**–ःआदेशः–**

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः आवेदन–पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 साबित नही होने के कारण खारिज किया जाता है। साथ ही प्रार्थी विवादित भूमि की सीमाज्ञान करवाने के बाद नेखमबंदी आवेदन पेश करने के लिए स्वतंत्र रहेगा।

उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

(अशोक कुमार) 27/10/2025
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

आदेश आज दिनांक 27/10/2025 लिखा जाकर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

27/10/2025
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा